विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों के निष्पादन लेखा परीक्षा एवं वित्तीय संव्यवहारों के लेखा परीक्षा परिणामों से सम्बन्धित एक समीक्षा, एक दीर्घ प्रस्तर तथा पाँच प्रस्तर शामिल है। महत्वपूर्ण प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों ने वांछित उद्देश्यों को कम से कम लागत पर प्राप्त किया है और अभीष्ट लाभ पहुँचाया है या नहीं।

1.1 कानपुर विकास प्राधिकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा

कानपुर विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का गठन उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन सितम्बर 1974 में हुआ था। प्राधिकरण की निष्पादन लेखा परीक्षा 9 दिसम्बर 2013 से 15 जुलाई 2014 के मध्य सम्पादित की गयी जिसमें 2013–14 तक की पाँच वर्षों की अवधि को आच्छादित किया गया।

प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों पर चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

- प्राधिकरण ने बिना तर्कसंगतता को अभिलेखबद्ध किए नौ चालू बैंक खाते खोल रखे थे। इसके अलावा, यह चालू खातों पर आटो स्वीप सुविधा का लाभ उठाने में असफल रहा जिसके कारण प्राधिकरण अप्रैल 2009 से मार्च 2014 के मध्य ₹ 3.61 करोड़ का ब्याज अर्जित करने से वंचित रहा।

(प्रस्तर 2.1.6.3)

- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पनकी गंगागंज की भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु हर्जाने का निर्धारण न किए जाने के कारण ₹ 145.23 करोड़ की धनराशि का दण्डस्वरूप परिहार्य भुगतान किया गया।

(प्रस्तर 2.1.7.1)

- 16.367 हेक्टेअर भूमि के अर्जन प्रस्ताव के लिए अपर जिला अधिकारी (भूमि अध्याप्ति) के पास जमा धनराशि ₹ 4.32 करोड़ अवरूद्ध रही और सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी प्राधिकरण द्वारा भुगतान की गयी धनराशि को वापस प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.7.2)

- छः मानचित्रों का अनुमोदन, भवन उपविधि के विपरीत किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.75 करोड़ तल क्षेत्रफल अनुपात शुल्क की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

- महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के विपरीत रेलवे भूमि के रूप में चिन्हित भूमि पर समूह आवास का मानचित्र अनुमोदित किया गया।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

● प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से ₹ 9.01 करोड़ का व्यय उन कार्यों पर किया जो कि अवस्थापना कार्य के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

● प्राधिकरण ने मानचित्रों के अनुमोदन पर ₹ 9.17 करोड़ का उपकर वसूल किया किन्तु उसने सितम्बर 2014 तक ₹ 5.19 करोड़ उपकर संग्राहक (श्रम विभाग) को जमा नहीं किये।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

● प्राधिकरण ने आवासीय भूमि की दर के स्थान पर कृषि भूमि के लिए लागू सर्किल दर पर भूखण्ड आवंटित किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुयी।

(प्रस्तर 2.1.10.1)

● उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही न किए जाने के कारण, चार मल्टीप्लेक्स आवश्यक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही संचालित हो रहे थे।

(प्रस्तर 2.1.11.2)

1.2 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर दीर्घ प्रस्तर

औद्योगिक नीति में प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था की गयी थी जो कुटीर एवं लघु उद्यमियों हेतु आवश्यक सेवायें एवं सहयोग प्रदान करें। इन केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा उचित वित्तीय एवं संगठनात्मक सहयोग प्रदान किया जाना था। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की निष्पादन लेखा परीक्षा का सम्पादन 2013–14 तक की चार वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए जुलाई 2013 से फरवरी 2014 के मध्य किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों पर चर्चा नीचे की गयी है :–

● प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, अभिलेख न बनाये जाने के कारण, 1996 लाभार्थियों को दी गयी ₹ 54.54 करोड़ की सब्सिडी की प्रमाणिकता की जाँच नहीं हो पायी।

(प्रस्तर 2.2.6.2)

● सूक्ष्म एवं लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2009–10 में अनुमोदित साफ्ट इन्टरवेंशन – स्टील फर्नीचर क्लस्टर, लखनऊ को चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक (मार्च 2014) पूरा नहीं किया जा सका। पुनः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण लेदर क्लस्टर परियोजना, गोरखपुर रद्द हो गयी।

(प्रस्तर 2.2.7.2 एवं 2.2.7.3)

● औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, विद्यमान औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे जिसके कारण नमूना जांच किये गये 15 में से 11 जिला उद्योग केन्द्रों में 614 भूखण्ड आवंटित नहीं हो पाये।

(प्रस्तर 2.2.8.1)

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना की दिशा–निर्देशों के उल्लंघन स्वरूप जिला उद्योग केन्द्र, 15 में से छः जिला उद्योग केन्द्रों में 33 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में असफल रहे।

(प्रस्तर 2.2.9.2)

• हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, योजना का व्यापक प्रसार करने में असफल रहे जिसके कारण ₹ 1.59 करोड़ की धनराशि का उपयोग नहीं हो सका।

(प्रस्तर 2.2.10.1)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा

• लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक ठेकेदार को अवरोध रहित स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण किये बिना ₹ 1.33 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम प्रदान कर, अनुचित लाभ दिया।

(प्रस्तर 3.1)

• आगरा विकास प्राधिकरण आवंटित भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल निर्धारित समय में आवंटी को प्रदान करने में असफल रहा और ₹ 20.11 लाख के ब्याज की हानि को वहन किया ।

(प्रस्तर 3.2)

• गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के शासनादेश के उल्लंघन के कारण कार्नर भूखण्डों पर शुल्क वसूल करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 98.38 लाख की धनराशि के राजस्व की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 3.3)

• रायल्टी की गणना के लिए काष्ठ के वास्तविक उत्पादन के स्थान पर अनुमानित उत्पादन को आधार मानने के परिणामस्वरूप ₹ 6.21 करोड़ की रायल्टी की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 3.4)

• उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अधिशेष निधियों को उच्च ब्याज दरों पर रखने में असफल रहा और ₹ 3.29 करोड़ के ब्याज की धनराशि की हानि को वहन किया।

(प्रस्तर 3.5)

Filename: Overview.docx
Directory: E:\Data\Audit Lucknow\17.02.2015 Hindi Audit-Final\Hindi AR 2013-14 PSU 16-2-2015\pdf
Template: C:\Users\vijay\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: 31 ekpZ 2014 dks lekIr gq, o"kZ ds fy, ys[kk ijh{kk izfrosnu ¼vkfFkZd {ks=&xSj lkoZtfud {ks= ds miØe½
Subject:
Author: sf
Keywords:
Comments:
Creation Date: 2/3/2015 11:16:00 AM
Change Number: 162
Last Saved On: 2/17/2015 3:36:00 PM
Last Saved By: vijay
Total Editing Time: 161 Minutes
Last Printed On: 2/20/2015 6:13:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 875 (approx.)
Number of Characters: 4,992 (approx.)